

राजस्थान –सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:- ई-11/नर्सिंग/नर्स-2/एस-686/18/

दिनांक:-

आदेश

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिरोही के अधीन कार्यरत निम्न नर्स-2 परीवीक्षाधीन का उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि का वित्त विभाग के आदेश संख्या F.1(2)FD(Rules)/06/Part-I दिनांक 11.06.2014 के अनुसरण में असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

क्र०स०	नाम नर्स-2	अवकाश अवधि
01	सरपोटा संजय कुमार	दिनांक 17.08.16 से दिनांक 31.08.16-15 दिवस
02	सुनिल कुमार	दिनांक 16.12.16 से दिनांक 19.12.16-04 दिवस
03	विनोद	दिनांक 23.12.16 से दिनांक 26.12.16-04 दिवस दिनांक 18.11.16 से दिनांक 20.11.16-03 दिवस
		कुल -07 दिवस

वित्त विभाग के आदेश संख्या F.1(2)FD(Rules)/06/Part-I दिनांक 11.06.2014 के अनुसरण में एक माह से अधिक अवधि के उपरान्त उपभोग किये गये असाधारण अवकाश (क्रम संख्या 04 पर अंकित कार्मिक का 60 दिवस) की सीमा तक परीवीक्षा काल में अभिवृद्धि की जावेगी।

-sd-

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:- ई-11/नर्सिंग/नर्स-2/एस-686/18/1349

दिनांक:-19/09/2018

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही।
2. संबंधित कार्मिक द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
3. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड हेतु।
4. आदेश पत्रावली।



(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर।